**संख्या- 26 / 2016 /4187 /चार-2015-57(वि)/2015**

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 11 फरवरी,2016

विषय:- संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-95/सं0नि0-19(2)/ टीसी-1/2014, दिनांक 16 अप्रैल,2015 एवं पत्र संख्या-1574 /सं0नि0-19(2)/ टीसी-1/2015-16, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 तथा निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद के पत्र संख्या - 92/अ0शो0स0-प्र0शा0/2015, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं सूचना का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय तथा निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद के प्रस्ताव एवं संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्त लिये गये निर्णय के अनुपालन में तत्काल अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या- ई-7-30/दस-2016 ,दिनांक 29 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( अनीता सी0 मेश्राम )
सचिव।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या: 26 / 2016 / 4187 (1)/चार-2015-16 (वि)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- गृह गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके अ0शा0 पत्रसंख्या- 4/2/21/2015 -सी0एक्स0 (1) दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 के क्रम में ।
5 - वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7 - निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद।
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।